रूप-पत्र 14

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का नियम 54 देखिए)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-क के अधीन रजिस्ट्रेशन / रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

व्यापार कर अधिकारी

.....(सर्किल)

मै (पूरा नाम).....आत्मज (पूरा नाम).....फर्म.....का स्वामी/साझेदार/संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता/लिमिटेड कम्पनी का प्रबन्ध संचालक अथवा उसके संचालक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत संचालक/सोसाइटी, क्लब या एसोसियेशन का अध्यक्ष या सचिव/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के.....विभाग में कार्यालय का या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी / व्यापारी / प्राधिकरण या निकाय के मुख्य अधिकारी या मुख्य अधिकारी द्वारा यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी जो, सर्वश्री..... ..... के नाम और उपाधि (स्टाइल) से व्यापार करता हूँ और जिसके व्यापार का मुख्य स्थान..... .....(मकान संख्या, सड़क, मार्ग, बाजार आदि के नाम सहित पूरा पता), डाकखाना.....तहसील.....जिला.....के अन्तर्गत आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित है, एतदद्वारा, उपर्युक्त व्यापार के मुख्य स्थान और निम्नलिखित डिपो एवं शाखाओं सहित, व्यापार के समस्त अन्य स्थानों का वर्ष 20.....के निमित्त उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-क के अधीन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र देता हूँ। मै इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ:-

1. व्यापारी के मुख्य स्थान के सिवाय अन्य समस्त व्यापार स्थानों को, जिसके अन्तर्गत डिपो तथा शाखायें भी हैं, नाम और पता -

(1).....

(2).....

(3).....

2. व्यापारी की प्रास्थिति -

(यहाँ वैयत्तिक/संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब/फर्म/कारपोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/सोसाइटी/क्लब/एसोसियेशन/सरकारी विभाग इत्यादि, जैसी भी दशा हो, लिखें)

3. व्यापार का प्रकार-

(क) थोक या फुटकर

(ख) उत्पादक, निर्माता, प्रोसेसर या आयातक

(ग) क्रय या विक्रय कमीशन एजेन्ट

4. जिस व्यापार के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया जाय उसे आरम्भ करने का दिनांक.....

5. संग्राहागारों, गोदामों, फैक्टरियों तथा कारखानों (वर्कशाप) इत्यादि की पूर्ण सूची और स्थिति-

क्र.सं.	सड़क, मार्ग, गांव, टाउन डाकखाना, तहसील, जिला इत्यादि का नाम तथा मकान संख्या सहित पूरा पता	स्तम्भ 2 में उल्लिखिति भू-गृहादि में स्वामी का नाम और पूरा पता (उन्हीं ब्योरों के साथ जैसा कि स्तम्भ 2 में उल्लिखित है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4

6. मुख्य कार्यालय का पूरा पता, यदि उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो

7. माल का ब्योरा जिनका व्यापार होता हो- निम्नलिखित रूप में

अपने लेखे में			
क्रय के पश्चात	निर्माण/प्रोसेसिंग/ उत्पादन आदि के पश्चात	क्रय कमीशन एजेन्ट के रूप में	विक्रय कमीशन एजेन्ट के रूप में
	(क) उत्तर प्रदेश के भीतर		
	(ख) अन्तर्राज्य व्यापार के दौरान		
	(ग) भारत के बाहर निर्यात के दौरान		

8. स्वामियों/साझेदारों/संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य तथा कर्त्ता /अन्य व्यक्ति जिनका व्यापार में हित हो, विवरण या ब्यौरे (रूप-पत्र 'क' में प्रस्तुत किया जायेगा)

9. व्यापार में वस्तुत: लगायी गयी पूंजी की कुल धनराशि.....

10.इस प्रार्थना-पत्र के ऊपर उल्लिखित व्यापार से भिन्न अन्य व्यापार के ब्योरे, जिसमें स्वामी/साझेदार/संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों तथा कर्त्ता/क्लब, सोसाइटी या एसोसियेशन के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य का कोई हित इस समय हो या पहले था, जिसके अन्तर्गत वे व्यापार भी हैं जिनके लिए कर का भुगतान करने का दायित्व उनके द्वारा इस व्यापार को, जिसके लिये यह प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा है, प्रारम्भ करने या इसमें सम्मिलित होने के पश्चात समाप्त हो गया हो। (रूप-पत्र 'ख' में प्रस्तुत किया जायेगा)

11. समस्त ऐसी अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे जो फर्म के स्वामी/साझेदारों/संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य या कर्त्ता/ सोसाइटी, क्लब या एसोसियेशन के सदस्य के स्वामित्वाधीन हों या उसमें उनका हित हो (किसी लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा)

व्यक्तियों के नाम जिनका व्यापार में हित हो	सम्पति का ब्यौरा जो स्तम्भ 1 में नामित व्यक्ति के स्वामित्व में हो या जिसमें उसका कोई हित हो	सम्पति की स्थिति (मकान संख्या,खाता संख्या,खसरा संख्या, सड़क, मोहल्ला, ग्राम टाउन, डाकखाना, तहसीलें जिला इत्यादि)	सम्पति में धृत हित का प्रकार और सीमा	ऐसे हित का अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5

12.(1) साधारण रूप में रखी जाने वाली लेखाबहियों के नाम.....

(2) ऐसे स्थानों का पूरा पता जहाँ-

(क) उस वर्ष जिसके लिये यह प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा हो,

(ख) कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष,

(ग) अन्य वर्षो की लेखा-बहियाँ साधारणत: रखी जाती हों /रखी जायेगी ।

(13) लेखों के प्रयोजनों के लिये मेरा/हमारा वर्ष.....से.....तक होता है।

(14) भाषा तथा लिपि जिसमें लेखे रखे जातें हो.....

(15) बैंको के ब्यौरे जिनके माध्यम से साधारणतया लेन-देन किया जाता हो या जिसमें लेखा रखा जाता हो-

(1) बैंक / बैंको के नाम.....

(2) नाम जिसमें लेखा/लेखे खोला गया हो/खोले गये हों.....

(3) लेखा का / लेखों के प्रकार.....

16. उन कर निर्धारण वर्ष का, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अपेक्षित हो, सम्भावित विक्रय-धन.....

17. रजिस्ट्रेशन शुल्क/शास्ति के निमित 10 रू.या 15 रू. या 20 रू. का खजाना चालान संख्या.....दिनांक.....

चैक संख्या.....(बैंक का नाम).....संलग्न है।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार।

सत्यापन

मै एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी तथा विश्वास है इस प्रार्थना-पत्र में दिये गये ब्यौरे सत्य और पूर्ण हैं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

स्थान.....

दिनांक.....

व्यापारी के सम्बन्ध में प्रास्थिति.....

स्थायी पता.....

प्रमाणित करने वाला साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

(केवल साझेदारी फर्म के सम्बन्ध में दिया जायेगा)

मै/हम उपर्युक्त फर्म का / फर्मों के साझेदार एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त ब्योरे/ब्योरे पढ़ लिया/लिये हैं और एतदद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और पूर्ण है और किन्हीं भी सारवान ब्योरों को छिपाया नहीं गया।

साझेदारों के हस्ताक्षर

1.. .. ..

2... .. ..

3.. .. ..

टिप्पणी (1) उपर्युक्त में, जो भी लागू न हो उसे काट दिया जाय।

(2) प्रार्थी के हस्ताक्षर के सत्यापन किसी वकील अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे व्यापार कर अधिकारी जानता हो।

(3) इस रूप-पत्र में हस्ताक्षर के सत्यापन का, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, वही अर्थ होगा जो कि सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है।

रूप-पत्र - क

(रूप-पत्र 14 की मद 8 देखिए)

क्रम संख्या	व्यापार मे हितबद्ध व्यक्ति	आयु	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता (मकान संख्या, सड़क,मौहल्ला ग्राम,डाकखाना टाऊन, जिला इत्यादि सहित)	स्थायी पता (स्तम्भ 5 के ब्यौरों के अनुसार)	हित का प्रकार और उसकी सीमा
1	2	3	4	5	6	7

स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर	स्तम्भ 2 में उल्लिखिति व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले साक्षी का हस्ताक्षर और पता			
	हस्ताक्षर	नाम	पितृ नाम	स्तम्भ 5 के अनुसार पूरे ब्योरों सहित पता
8	9	10	11	12

टिप्पणी- (1) हस्ताक्षर का सत्यापन किसी वकील या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे व्यापार-कर अधिकारी जानता हो।

(2) इस रूप-पत्र में हस्ताक्षरों के सत्यापन का वही अर्थ होगा जो कि सम्पति अन्तरण अधिनियम,1982 को धारा 3 में दिया गया हो।

(3) किसी लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

रूप-पत्र - ख

(रूप-पत्र 14 की मद 10 देखिए)

क्रम संख्या	व्यापार मे हितबद्ध व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यापार के मुख्य स्थान का नाम तथा उपाधि जिसमें स्तम्भ 2 में नामित व्यक्ति का कोई हित हो/था	स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यापार के मुख्य स्थान का पूरा पता	स्तम्भ 2 में नामित व्यक्ति के हित का प्रकार और सीमा	स्तम्भ 3 में नामित व्यापार के लिए कर का, यदि कोई हो, भुगतान करने के दायित्व के अन्त या समाप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6

उत्तर प्रदेश व्यापार कर रजिस्ट्रेशन सं. यदि कोई हो	व्यापार का प्रकार (वस्तुयें जिनका व्यापार हो)	क्या वह थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, निर्माता, आढ़ती आदि है।	पिछले कर निर्धारण वर्ष का सम्पूर्ण विक्रय-धन	अभ्युक्तियाँ
7	8	9	10	11

वर्ष.....

विक्रय-धन.....

टिप्पणी -किसी लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।